Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 09-03-2006

Participants : Mohale Shri Punnulal

an>

Title : Need to restore the number of seats reserved for SCs/STs in Chhattisgarh Legislative Assembly and Lok Sabha from the state proposed to be reduced by the Delimitation Commission as per 2001 census.

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली के अंतर्गत परिसीमन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का परिसीमन किया जा रहा है जिसमें विधान सभा की 90 सीटें हैं तथा लोक सभा की 11 सीटें हैं। उक्त राज्य में अनु0 जाति के लोक सभा में दो सीट और अनु0 जनजाति के लोक सभा में चार सीट आरक्षित हैं। दस सीटें विधान सभा के लिए अनु0 जाति की आरक्षित हैं तथा 34 सीटें अनु0 जनजाति की विधान सभा में आरक्षित हैं। परिसीमन आयोग द्वारा पांच सीटें विधान सभा की अनु0 जनजाति की कम की जा रही हैं तथा लोक सभा में एक सीटा अनु0 जाति व एक सीट अनु0 जनजाति की कम की जा रही है। सन 2001 की जनगणना के आधार पर स्पट है।

उपरोक्त संदर्भ में स्पट है कि छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाने का उद्देश्य अनु0 जाति/जनजाति का ि वकास व उत्थान तथा उनके अधिकार को सुरक्षित रखने की कल्पना को साकार करने हेतु बनायी गयी थी। उ परोक्त संदर्भ में अनु0 जाति/जनजाति की सीटें कम होने के कारण उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है जिसमें अनु0 जाति/जनजाति वर्ग में भारी असंतोा एवं आक्रोश व्याप्त है तथा अपने अधिकारों के प्रति चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अनु0 जाति/जनजाति के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए सीटों को पुनः अनु0 जाति/जनजाति की विधान सभा/ लोक सभा में आरक्षित सीटों की कमी नहीं किए जाने हेतु आदेशित करने का कट करें।